



प्रेस नोट - थाना सदर बाजार



जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक – 30.09.2026

थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब/शस्त्र विक्रय तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.09.2026 को वादिनी द्वारा थाना सदर बाजार पर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण पवन शर्मा आदि 07 नफर द्वारा वादिनी की पुत्री को अतिरिक्त दहेज में एक प्लॉट एवं एक सोने की चेन की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया तथा मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या किए जाने के संबंध में आरोप लगाए गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 524/26 धारा 80(2), 85 बीएनएस एवं 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आज दिनांक 30.09.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्त पंखी चौराहे पर खड़ी है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान से अभियुक्त को पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा नाम-पता पूछे जाने पर अभियुक्त ने अपना नाम धूपकली पत्नी रामकुमार, निवासी मोहल्ला तिलहरजई, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र 75 वर्ष, मूल निवासी ग्राम बबक्करपुर, थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर बताया। अभियुक्त को उसके विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0 524/26 धारा 80(2), 85 बीएनएस एवं 3/4 डीपी एक्ट के संबंध में अवगत कराते हुए आज दिनांक 30.09.2026 को समय करीब 13:50 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

धूपकली पत्नी रामकुमार नि0मो0 तिलहरजई थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर उम्र 75 वर्ष मूल निवासी ग्राम बबक्करपुर थाना से0म0 दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 524/26 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान:-

दिनांक 30.09.2026 को समय करीब 13.50 बजे, पंखी चौराहा से।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 नितिन कुमार थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।
2. म0आ0 2859 शारदा थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।